

न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी०ए० केस नं०- 21 / 2017-18
मो० अफताब आलम बनाम् रैयान मौजा-बरारी
-: आदेश :-

23

प्रस्तुत वाद आयुक्त के सचिव, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के पत्रांक-5135 / विधि दिनांक-22.12.2022 द्वारा प्राप्त हुआ है।

पुनः आयुक्त के सचिव, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के पत्रांक-114 / विधि, दिनांक-03.02.2023 द्वारा R.M.A No-45/2020-21 मो० अफताब आलम बनाम मो० खालिद व अन्य में दिनांक-17.05.2022 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है।

उक्त आदेश के आलोक में मो० खालिद को प्रासंगिक वाद अन्तर्गत निर्गत प्रधानी पट्टा को रद्द किया जाता है एवं मो० अफताब आलम को सूचित किया जाता है कि वे एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे। तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, मेहरमा को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


06.02.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।


06.02.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।